मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

बुधवार, दिनांक 29 नवम्बर, 2017 (अग्रहायण 8, शक सम्वत् 1939)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:01 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नकाल में उल्लेख एवं अध्यक्षीय व्यवस्था

प्रदेश में महिलाओं पर सामूहिक बलात्कार की घटना पर स्थगन प्रस्ताव लिया जाना

श्री रामनिवास रावत, डॉ. गोविन्द सिंह, सर्वश्री बाला बच्चन, सुन्दरलाल तिवारी, सदस्यगण द्वारा उल्लेख किया गया कि – महिलाओं पर हो रहे बलात्कार एवं भोपाल में कोचिंग से घर लौट रही छात्रा के साथ दिनांक 31 अक्टूबर, 2017 हुई घटना के संबंध में 8 दिन पहले विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव दिया था. हम चाहते हैं कि सरकार उस पर चर्चा के लिए तैयार हो. इस प्रदेश में अनेक महिलाओं के साथ रोज बलात्कार हो रहा है. इस पर आप व्यवस्था दें. हमने कल भी आसंदी से स्थगन प्रस्ताव लेने का अनुरोध किया था, आपने कहा था कि किसी माध्यम से चर्चा कराएंगे, आप इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा कराएं. श्री उमाशंकर गुप्ता, संसदीय कार्य मंत्री (प्रभारी) ने मत व्यक्त किया कि इस विषय पर किसी न किसी माध्यम से चर्चा होने वाली है. इस पर स्थगन प्रस्ताव लेने का कोई औचित्य नहीं है. इस पर एक विधेयक आ रहा है और अनुपूरक अनुमान पर भी चर्चा होने वाली है, तब आप को चर्चा करने का मौका मिलेगा.

अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि – "आज गृह एवं राजस्व विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं. इसलिए अभी प्रश्नकाल चलने दें. इसके बाद बात करेंगे. आप लोगों ने कल अनुरोध किया था कि 4 ध्यानाकर्षण लें, मैंने आज 4 ध्यानाकर्षण लिये है. आज ही राजस्व विभाग के 6 और गृह विभाग के 6 प्रश्न हैं जिस पर संबंधित मंत्री उत्तर देंगे. आपके स्थगन का विषय आज इसमें नहीं है परन्तु मैंने उसे किसी अन्य तरीके से चर्चा में लेने का आश्वासन दिया है, उस पर चर्चा कराएंगे."

श्री बाबूलाल गौर, सदस्य ने श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध किया कि विधान सभा को नियमानुसार चलने दें और प्रश्नकाल हो जाने दें.

2. गर्भगृह में प्रवेश, नारेबाजी एवं व्यवधान से कार्यवाही स्थगित की जाना

इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा भोपाल सामूहिक बलात्कार की घटनाओं पर स्थगन प्रस्ताव द्वारा चर्चा न कराये जाने के विरोध में गर्भगृह में प्रवेश किया.

(गर्भगृह से लगातार नारेबाजी एवं व्यवधान के कारण अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की कार्यवाही 11.07 बजे से 10 मिनट के लिए स्थगित की जाकर 11.20 बजे विधान सभा पुन: समवेत हुई.)

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

3. प्रश्नकाल में उल्लेख एवं अध्यक्षीय व्यवस्था (क्रमश:)

श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने आसंदी से अनुरोध किया कि 31 अक्टूबर, 2017 को भोपाल में बलात्कार की घटना जो हुई है और प्रदेश में लगातार ऐसी घटनाएं होती जा रही हैं, इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर हमने स्थगन प्रस्ताव दिया है, आप इस पर व्यवस्था दें. श्री जसवंत सिंह हाड़ा, सदस्य ने आसंदी से अनुरोध किया कि प्रश्नोत्तर काल सदस्यों का अधिकार है. डॉ. गोविन्द सिंह ने उल्लेख किया कि महिलाओं के बलात्कारियों को नहीं पकड़ने से कानून व्यवस्था भंग हो चुकी है, मध्यप्रदेश के इतिहास में आज कलंक का दिन है क्योंकि आज के दिन प्रदेश 12 वें वर्ष का, मुख्यमंत्री महोदय का जश्न मना रहा है. श्री उमाशंकर गुप्ता, संसदीय कार्य मंत्री (प्रभारी) ने सदस्य को सूचित किया कि मुख्यमंत्री महोदय कठोर कार्यवाही कर रहे हैं और सरकार बलात्कारियों के लिए फांसी देने का कानून बना रही है.

श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष एवं डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने उल्लेख किया कि हमने 8 दिन पहले प्रदेश में हुई इस घटना को लेकर और महिला उत्पीड़न पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं दी है. आपने व्यवस्था दी थी कि हम चर्चा के लिए उसे रखेंगे. कल हम लोगों ने इंतजार किया परन्तु यह विषय नहीं लिया गया. सदन के नेता तो कभी यहां रहते नहीं है उनके कार्यकाल के 12 वर्ष हो गये है वे कहीं पर जश्न मना रहे होंगे लेकिन महिला उत्पीड़न पर सदन में चर्चा हेतु तत्काल व्यवस्था दें कि स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा होगी या नहीं ?

श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने उल्लेख किया कि स्थगन प्रस्ताव की सूचना किसी घटना विशेष पर लाई जाती है. जिस घटना पर ये चर्चा करवाना चाहते है उसके सभी आरोपी गिरफतार किये जा चुके हैं और शासन बलात्कार की घटनाएं रोकने के लिए मृत्युदण्ड तक का प्रावधान कर रहा है. इसके अलावा आप किसानों की चर्चा से, सूखा एवं राहत की चर्चा से, अवर्षा की चर्चा से बचना चाहते हैं. इन मुद्दों की मांग विपक्ष ने नियम 139 की चर्चा में की थी. अब ये इन पर चर्चा न करके इसे विषयांतर करना चाहते है.

डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने आसंदी से अनुरोध किया कि हम इस पर ध्यानाकर्षण के रूप में चर्चा स्वीकार नहीं करेंगे. हमने प्रदेश में हो रहे बलात्कार की घटनाओं पर चर्चा की मांग की है, स्थगन प्रस्ताव दिया है उस पर चर्चा की जाए.

अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि – "माननीय प्रतिपक्ष के नेता एवं श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने जो मामला उठाया है उस पर किसी न किसी रूप में चर्चा करा लूंगा, समय आपसे तय कर लेंगे. मैंने जो बात आपसे कही है वह माननीय प्रतिपक्ष के नेता जी से चर्चा करके ही कही है."

4. गर्भगृह में प्रवेश, नारेबाजी एवं व्यवधान से कार्यवाही स्थगित की जाना (क्रमशः)

इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग करते हुए पुनः गर्भगृह में प्रवेश किया एवं नारे लगाए और कुछ महिला सदस्यगण द्वारा चूड़ियों का प्रदर्शन किया.

(कार्यवाही में व्यवधान होने के कारण अध्यक्ष अध्यक्ष द्वारा 11.30 बजे सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित की जाकर 11.42 बजे विधान सभा पुनः समवेत हुई.)

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराये जाने की मांग करते हुए गर्भगृह में प्रवेश कर नारेबाजी की जाती रही. व्यवधान के मध्य कार्यसूची में अंकित विषयों पर सदन की कार्यवाही निरन्तर जारी रही.

5. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 2 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1 एवं 2 पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 129 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 152 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

कार्यवाही में व्यवधान होने के कारण अध्यक्ष महोदय द्वारा 11.53 बजे सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित की जाकर 12.07 बजे विधान सभा पुनः समवेत हुई.

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा 12.07 बजे सदन की कार्यवाही 30 मिनट के लिए स्थगित की जाकर 12.37 बजे विधान सभा पुनः समवेत हुई.

सभापति महोदय (श्री कैलाश चावला) पीठासीन हुए.

6. नियम 267-क के अधीन विषय

सभापति महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री मुरलीधर पाटीदार, सदस्य की मध्यप्रदेश में कक्षा 11वीं तथा 12वीं के पाठ्यक्रम में कौशल उन्नयन विषय को अनिवार्य किये जाने,

(2) डॉ. रामकिशोर दोगने, सदस्य की नागदा स्थित ग्रेसिम उद्योग में ठेकेदार द्वारा नये यू.ए.एन नंबर बना कर श्रमिकों के साथ धोखाधड़ी करने,

(3) श्री विजय सिंह सोलंकी, सदस्य की संत बोंदरू बाबा की समाधि स्थल को पर्यटन क्षेत्र घोषित किये जाने,

(4) श्री दिलीप सिंह शेखावत, सदस्य की नागदा खाचरौद क्षेत्र में सी.सी रोड के दोनों ओर नालियों का निर्माण न किये जाने,

(5) श्री सोहनलाल बाल्मीक, सदस्य की परासिया विधानसभा क्षेत्र में कोयला खदानें, शासन के निर्देशों के अनुरूप संचालित न किये जाने,

(6) श्री घनश्याम पिरौनियां, सदस्य की दतिया जिले में श्रम विभाग द्वारा श्रमिक आवास निर्माण में घोटाला किये जाने,

(7) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य की श्योपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ददूनी से 12-एल नहर तक मार्ग निर्माण किये जाने,

(8) श्री आशीष गोविंद शर्मा, सदस्य की मध्यप्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा विद्यार्थियों को प्रदत्त गणवेश राशि बढ़ाये जाने,

(9) श्री दिनेश राय, सदस्य की सिवनी जिले के छपारा विकासखंड में कई ग्रामों का विद्युतीकरण न किये जाने तथा

(10) श्री मधु भगत, सदस्य की परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सातनारी जलाशय का निर्माण कार्य पूर्ण न किये जाने,

संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत हुईं मानी गईं.

7. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2016-17 की द्वितीय छ: माही के दौरान बजट से संबंधित आय और व्यय की प्रवृत्तियों का छ: माही समीक्षा विवरण तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 प्रथम छ: माही के दौरान बजट से संबंधित आय और व्यय की प्रवृत्तियों का छ: माही समीक्षा विवरण पटल पर रखे.

(2) श्री उमाशंकर गुप्ता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रानिक्स डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का इकत्तीसवां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2014-15 पटल पर रखा.

(3) श्री पारस चंद्र जैन, ऊर्जा मंत्री ने विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2016-तेरह, दिनांक 04 मार्च, 2017 पटल पर रखी.

(4) श्री राजेन्द्र शुक्ल, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार मंत्री ने मध्यप्रदेश ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड का 38 वां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे वित्तीय वर्ष 2014-15 (31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए) पटल पर रखे.

(5) श्री अंतर सिंह आर्य, पर्यावरण मंत्री ने मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2016-17 पटल पर रखा.

(6) श्री रामपाल सिंह, लोक निर्माण मंत्री ने मध्यप्रदेश राजमार्ग निधि का पंचम वार्षिक लेखा एवं प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 पटल पर रखे.

(7) श्री दीपक जोशी, राज्यमंत्री स्कूल शिक्षा ने स्कूल शिक्षा विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 37-2-2015-बीस-3, दिनांक 31 मार्च, 2017 पटल पर रखी.

(8) श्री सूर्य प्रकाश मीना, राज्यमंत्री उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ने एम.पी. स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का 47 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2015-2016 पटल पर रखे.

8. ध्यानाकर्षण

सभापति महोदय द्वारा सदन की सहमति से यह घोषणा की गई कि - विधानसभा की नियमावली के नियम 138 (3) के अनुसार किसी एक बैठक में दो से अधिक ध्यानाकर्षण की सूचनाएं नहीं ली जा सकती हैं, परंतु सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यानाकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलंबनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के आग्रह को देखते हुए सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम को शिथिल करके मैंने आज की कार्यसूची में चार सूचनाएं सम्मिलित किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है, लेकिन इसके साथ ही मेरा अनुरोध है कि जिन माननीय सदस्यों के नाम सूचनाओं में हों केवल वे ही प्रश्न पूछकर इन ध्यानाकर्षण सूचनाओं पर यथा शीघ्र चर्चा समाप्त हो सके, इस दृष्टि से कार्यवाही पूरी कराने में सहयोग प्रदान करें.

(1) सभापति महोदय द्वारा चंबल संभाग में सिंचाई हेतु चंबल नहर का समुचित मात्रा में पानी न मिलने संबंधित ध्यानाकर्षण पढ़ने हेतु श्री रामनिवास रावत, सदस्य का नाम पुकारा गया किन्तु कांग्रेस पक्ष के सदस्यगण द्वारा गर्भगृह से नारेबाजी एवं व्यवधान के कारण उनके ध्यानाकर्षण की सूचना प्रस्तुत नहीं हुई.

(2) श्री गिरीश गौतम, सदस्य ने रीवा जिले में अनियमित विद्युत प्रदाय होने के कारण उपभोक्ताओं को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री पारस चन्द्र जैन, ऊर्जा मंत्री ने वक्तव्य दिया.

(3) सभापति महोदय द्वारा रीवा में कोठी कम्पाउण्ड में कोर्ट भवन न बनाये जाने संबंधित ध्यानाकर्षण पढ़ने हेतु श्री सुखेन्द्र सिंह, सदस्य का नाम पुकारा गया किन्तु कांग्रेस पक्ष के सदस्यगण द्वारा गर्भगृह से नारेबाजी एवं व्यवधान के कारण उनके ध्यानाकर्षण की सूचना प्रस्तुत नहीं हुई.

(4) सभापति महोदय द्वारा सीहोर शहर में सीवेज लाईन डाले जाने में घटिया सामग्री का उपयोग होने संबंधित ध्यानाकर्षण पढ़ने हेतु श्री सुदेश राय, सदस्य का नाम पुकारा गया किन्तु कांग्रेस पक्ष के सदस्यगण द्वारा गर्भगृह से नारेबाजी एवं व्यवधान के कारण उनके ध्यानाकर्षण की सूचना प्रस्तुत नहीं हुई.

9. याचिकाओं की प्रस्तुति

सभापति महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों द्वारा याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं :-

(1) श्री केदारनाथ शुक्ल (जिला-रीवा)
(2) श्री शैलेन्द्र जैन (जिला-सागर)
(3) श्री शैलेन्द्र पटेल (जिला-सीहोर)
(4) श्री गोविन्द सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
(5) श्री विजय सिंह सोलंकी (जिला-खरगोन)
(6) श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे (जिला-भिण्ड)
(7) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार (जिला-मुरैना)
(8) श्री लखन पटेल (जिला-दमोह)
(9) श्री मुकेश नायक (जिला-पन्ना)
(10) श्री हरदीप सिंह डंग (जिला-मन्दसौर)
(11) श्री महेश राय (जिला-सागर)
(12) श्री सुरेन्द्रनाथ सिंह (जिला-भोपाल)
(13) श्री जालम सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
(14) श्री दिलीप सिंह परिहार (जिला-नीमच)
(15) श्री प्रदीप अग्रवाल (जिला-दतिया)
(16) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को (जिला-अनूपपुर)
(17) कुं. विक्रम सिंह (जिला-छतरपुर)
(18) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर (जिला-टीकमगढ़)
(19) श्री दुर्गालाल विजय (जिला-श्योपुर)
(20) श्री अनिल जैन (जिला-टीकमगढ़)

(21) श्री सोहनलाल बाल्मीक (जिला-छिन्दवाड़ा)
(22) श्री मानवेन्द्र सिंह (जिला-छतरपुर)
(23) श्री सुन्दरलाल तिवारी (जिला-रीवा)
(24) कुंवर जी कोठार (जिला-राजगढ़)
(25) श्री घनश्याम पिरोनियाँ (जिला-दतिया)
(26) श्री संजय शर्मा (जिला-नरसिंहपुर)
(27) श्री पन्नालाल शाक्य (जिला-गुना)
(28) श्री जितेन्द्र गेहलोत (जिला-रतलाम)
(29) पं. रमाकान्त तिवारी (जिला-रीवा)
(30) श्री मुरलीधर पाटीदार (जिला-आगर)
(31) श्री दिव्यराज सिंह (जिला-रीवा)
(32) श्री रामपाल सिंह (ब्यौहारी) (जिला-शहडोल)
(33) श्री हर्ष यादव (जिला-सागर)
(34) श्री दिनेश राय (जिला-सिवनी)
(35) श्री मधु भगत (जिला-बालाघाट)
(36) श्रीमती ममता मीना (जिला-गुना)
(37) कुंवर सौरभ सिंह (जिला-कटनी)

10. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री शंकरलाल तिवारी, सभापति ने याचिका समिति का याचिकाओं से संबंधित चौंतीसवां, पैंतीसवां तथा अभ्यावेदन से संबंधित नवम् प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

11. वर्ष 2017-2018 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार, वर्ष 2017-18 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया.

सभापति महोदय द्वारा इस पर चर्चा और मतदान के लिए दिनांक 30 नवम्बर, 2017 को 2 घन्टे का समय नियत किया गया.

अपराह्न 12.48 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 30 नवम्बर, 2017 (अग्रहायण 9, शक सम्वत् 1939) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

अवधेश प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल:
दिनांक: 29 नवम्बर, 2017